तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4471/2004/जोधपुर** **सरकार बनाम जयनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक अपीलांट के। श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर 28.04.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बाबत घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा का परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड व विवेचन व विश्लेषण करने के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2001 के विरूद्ध वादीगण/अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2004 से अपीलांटस/वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2001 को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2002 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4471/2004/जोधपुर** **सरकार बनाम जयनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बिना किसी ठोस आधारों के निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने वाद संख्या 1 को बिना किसी कारण के वादी के पक्ष में निर्णित कर दिया जबकि वादी किसी भी शहादत से वाद को साबित करने में सफल नहीं हो सका। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वादी/रेस्पो0 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 16 के प्रावधान के अनुसार भी रेस्पो0 किसी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा जो शहादत पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वादी को विवादित आराजी का खातदोरी घोषित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है एवं वादी/रेस्पो0 ने उस पर अतिक्रमण किया है एवं अतिक्रमी को किसी भी सूरत में खातेदार का दर्जा नहीं मिल सकता है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी ख0न0 587 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि में चुन्नीलाल पुत्र बुद्धा जाति ब्रहम्ण के कब्जा काश्त गैर बापीदार होने से उसे पुराने कब्जे के आधार पर उस समय के कानूनी प्रावधानों के धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दी गयी थी, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से कोई जबावदावा न तो पेश हुआ और न ही सरकार की ओर से कोई सरकारी दस्तावेज पेश किये गये, जिससे यह कहा जा सकता हो कि उक्त भूमि सरकारी भूमि के खाते में दर्जशुदा थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/4471/2004/जोधपुर** **सरकार बनाम जयनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया कि विवादित भूमि की गिरदावरियां भी वादीगण/रेस्पो0 के पिता व रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई तथा गैर बापीदार के रूप में भी नाम रिकार्ड पर आया था। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने इस बात समझने में भूल की थी कि उस समय गैर बापीदार के रूप में कृषको को तहसीलदार द्वारा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जाने के अधिकार थे। परीक्षण न्यायालय ने अपने विधि विरूद्व आदेश वादीगण/रेस्पो0 का वादी खारिज कर दिया, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत विधिक दृष्टांतो का अवलोकन किया।

प्रकरण की पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड के पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियां पूर्व से ही सरकारी भूमियां रही है। यह विवादित भूमियां रेस्पो0 की या उनके पूर्वजों की रिकाडेर्ड खातेदारी में रही हो यह भी संबंधित राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। विवादित भूमियां का रेस्पो0 या उनके पूर्वजों को कभी भी विधिनुसार आवंटन/नियमन किया गया हो और उन्हें उसके पश्चात उन्हें गैर खातेदारी व खातेदारी प्रदान की गयी हो यह भी प्रमाणित नहीं होता है।

परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड देखने से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मूलतः सरकारी भूमि थी। यह भी सही है कि इस भूमि की खसरा गिरदावरीयों में कहीं पर भी वादीगण के पिता चुन्नीलाल पुत्र बुद्वा तथा वादी जयनारायण पुत्र चुन्नीलाल ब्राहम्ण का नाम गैर बापीदार के रूप में आया हो। वादीगण ने यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4471/2004/जोधपुर** **सरकार बनाम जयनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबित नहीं कियाकि गैर बापीदार की हैसियत खातेदार की हैसियत कैसी मानी जावे। उनके दावे का एक मात्र आधार धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा उन्हें खातेदारी प्रदान करना व इसके आधार पर खुला नामांतरकरण है जबकि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार को खातेदारी प्रदान करन का अधिकार ही नहीं है। अतः यदि ऐसे किसी आदेश व नामांतरकरण का अस्तित्व भी माना जावे तो उक्त आदेश व नामांतरकरण बिना किसी विधिक क्षेत्राधिकार के होने के कारण शून्यएवं व्यर्थ माने जायेगे। वादीगण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातदेार अधिकार प्राप्त करने आवेदन पत्र सक्षम सहायक कलेक्टर के पास निर्धारित समयावधि में पेश कर खातेदारी प्राप्त करनी थी । इस वाद में उन्होने अपनी खातेदारी सरकारी जमीन पर विधिक रूप से साबित नहीं की है और न ही आवश्यक पक्षकारों को दावे में पक्षकार बनाया है। इसके अभाव में दावा वादीगण खारिज होने योग्य है।'' उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि इस प्रकार की राजकीय भूमियों पर धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दावे के आधार पर सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वर्ष 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय की संवत 2012 की केाई जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे रेस्पो0 या उनके पूर्वज रिकाडेर्ड खातेदार होना प्रमाणित होते हो। इन समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, जोधपुर का निर्णय दिनांक 27.08.2001 पूर्णतः विधिसंगत निर्णय है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के विपरीत जाकर राजकीय भूमि में सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध निर्णय की श्रेणी में आता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4471/2004/जोधपुर** **सरकार बनाम जयनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2004 अपास्त किया जाता है तथा परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष